न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

न्याय आपके द्वार केम्प — नन्दौड दिनांक 24.5.2018

प्रकरण संख्या— 211/2017 राजस्व वाद

दायर दिनांक— 4.12.2017
फैसल दिनाक— 24.5.2018
केम्प— नन्दौड

अनवान

1 दलजी पिता डूँगरजी यादव निवासी नन्दोड

(वादी)

बनाम

1— नगजी पिता डूँगरजी यादव
2— श्रीमती धुली बेवा भूराजी यादव
3— श्री कचरा पिता स्व0 श्री भूराजी यादव निवासीयान नन्दौड
4— राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी —श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

दावा बाबत बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने बाबत अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज0टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 सगे भाई है एवं प्रतिवादी नंबर 2 वादी की भाभी एवं प्रतिवादी नम्बर 3 भतीजा है।वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते एवं सह स्वामित्व की जमीन मौजा नन्दोड में जमाबन्दी संवत 2070—73 खाता संख्या 29 नया एवं 15 पुराना कुल खेत 12 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा स्थित है । उक्त खाता शामलाती होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है । वादी को अपने स्वयं के कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि को उपजाउ व काबिल काश्त बनाने परेशानी पैदा होती है ।अतः वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बराबर बराबर के हिस्से में बंटवारा किया जाने निवेदन किया गया है ।

प्रकरण में दिनांक 15.6.15 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सागवाडा को वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा प्रथक कर बंटवारा किया जाकर अलग खाता कायम करने बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदेश दिए गए ।

आज न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार :—

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
	दलजी पिता डूँगर चमार सा देह खातेदार	1363	0.07	सी.प्र.	0.40
				म.बीड	0.05
		2337	1.00		
		2338	1.03	सु.।। 1.00	1.30

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

				मवीड 0.03	0.02
		3373	0.03	सु. I I	0.20
2	कचरा पिता भूरा धूली बेवा भूरा 1/2 हिब प्रताप ईश्वर लालजी रतु लीली पार्वती पिता नगजी 1/2 हिब चमार सा देह खातेदार	583	0.03	सु. I	0.13
		2263	1.00	सु. I	0.85
		2340	0.13	म.वीड	0.03
		2341	0.13	सु. I I	0.85
		2342	0.11	सु. I I	0.71
		2352	0.18	सु. I	1.35
		3638	0.06	सु. I	0.45
		3642	0.15	सी. I I	1.31

प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट पर केम्प में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया ।बंटवारा रिपोर्ट से सहमत है ।

अतः वाद वादी स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सागवाडा को मोजा नन्दौड के खाता संख्या 29 का बंटवारा रिपोर्ट(परिशिष्ठ– अ)अनुसार प्रथक प्रथक खाता दर्ज करने आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के कब्जे काश्त एंव स्वामित्व की उसके हक व हिस्से में आई हुई जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करें ,विवाद नहीं करें एवं वादी के खेती करने काश्त करने फसल बोने फसल काटने एवं लाने ले जाने में उसका उपयोग व उपभोग इत्यादि करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें न ही करावें । बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ – अ निर्णय एवं डिक्री का अंग रहेगा ।

अन्तिम डिक्री जारी हो । वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे ।

पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2018 को सुनाया गया ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा

केम्प – नन्दौड

Scanned by CamScanner